सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP47547839035000X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

49/25

ACC Name Vinay Kumar Saxena
Stamp Vender
Licence No. (3/2013-14)
E-stamping ACC ID-UP14449404
Tehsil-Tundla Distt-Firozabad

Certificate No.	:	IN-UP47547839035000X
Certificate Issued Date	:	17-Sep-2025 01:39 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14449404/ TUNDLA/ UP-FRZ
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14449404922484645917 68X
Purchased by	:	PROFESSAR PUNNI SINGH EDUCATIONAL TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	PROFESSAR PUNNI SINGH EDUCATIONAL TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	PROFESSAR PUNNI SINGH EDUCATIONAL TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

Please write or type below this line

Tanay

PF 0005490952

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ई–स्टाम्प नं0–IN-UP47547839035000X, Date-17-09-2025

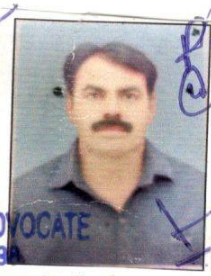

MAHESH CHANDRA ADVOCATE
COP No.- 171298
Tehsil Court Tundla (Firozabad)

MAHESH CHANDRA ADVOCATE
COP No.- 171298
Tehsil Court Tundla (Firozabad)

(न्यास–पत्र)

यह ट्रस्ट विलेख आज दिनांक–17–09–2025 को राजेन्द्र यादव पुत्र श्री पुन्नी सिंह निवासी–द एशियन स्कूल शम्भूनगर शिकोहाबाद तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद अध्यक्ष/सचिव एवं मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रोफेसर पुन्नी सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट फिरोजाबाद अन्य ट्रस्टीयों की सहमति से निष्पादित किया जा रहा है।

भारतीय न्याय अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व का आवद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है, अथवा घोषित एंव स्वीकार करता है। सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ के लिये स्वीकार करेगा।

1. ट्रस्ट का नाम : प्रोफेसर पुन्नी सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता : एशियन इण्टर नेशनल स्कूल बसई जय एस्टेट रोड़ टूण्डला विषम परिस्थितियों में ट्रस्ट के हितो में कार्यालय भारत वर्ष के किसी भी भाग में परिवर्तित एंव स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत ट्रस्ट की संस्थाये अन्य राज्यों में स्थापित की जा सकेगी।
4. ट्रस्ट में लगाया गया धन : 10,000/–दस हजार रूपये नगद ट्रस्ट फण्ड में समर्पित कर उक्त ट्रस्ट का निर्माण किया गया।
5. स्टाम्प : 750/–रूपया
6. फोटो प्रमाणितकर्ता : महेशचन्द्र एडवोकेट
7. ट्रस्ट के तत्व : मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्नलिखित तत्वो पर आधारित है:–

Tanay

ई–स्टाम्प नं0–IN-UP47547839035000X, Date-17-09-2025

1. ट्रस्ट का आभार है आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबुद्ध होता है।

2. ट्रस्ट का उदय विकास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हितधारियों का होना आवश्यक है। ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार को आबद्ध करेगा।

इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विश्वासपूर्ण आभार की अभिव्यक्ति है। उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होगें।

क0सं0	नाम	पिता का नाम	पता	पद
1.	राजेन्द्र यादव	पुन्नी सिंह	द एशियन स्कूल शम्भूनगर शिकाहोबाद जिला फिरोजाबाद	मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष
2.	तनय कुमार	राजेन्द्र यादव	द एशियन स्कूल शम्भूनगर शिकाहोबाद जिला फिरोजाबाद	ट्रस्टी
3.	कौशल किशोर	रामविहारी यादव	म0नं0–701, खेरा शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद	ट्रस्टी

ट्रस्ट की सदस्यता–

1. इस ट्रस्ट के निर्माण के समय निर्माणकर्ता मुख्य ट्रस्टी संस्थापक/अध्यक्ष और आजीवन ट्रस्टी होगें।

2. ट्रस्ट के कुशल संचालन हेतु संस्थापक ट्रस्टियों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य अस्थायी ट्रस्टियों की नियुक्ति संस्थापक/अध्यक्ष के द्वारा निश्चित समयावधि के लिये की जायेगा।

3. आजीवन ट्रस्टियों से किसी भी ट्रस्टी द्वारा त्याग पत्र दिये जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर सर्वसम्मति से किसी भी सदस्य को आजीवन ट्रस्टी का दर्जा प्राप्त हो सकेगा।

4. अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी के पद त्याग अथवा मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार का सदस्य ही अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी होगा।

5. यदि कोई सदस्य इस ट्रस्ट को भविष्य में 50,000/–पचास हजार रूपया या इससे अधिक अथवा इससे अधिक मूल्य की कोई चल–अचल सम्पत्ति ट्रस्ट फण्ड में जमा करेगा तो उसे इस ट्रस्ट का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

6. विशिष्ट सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेष योग्यता रखने वाले अग्रणी व्यक्ति दो वर्ष के लिये अध्यक्ष ट्रस्टी द्वारा समस्त ट्रस्टियों की सहमति से सदस्य नामित किये जा सकेगें, ऐसे सदस्यों की संख्या अधिकतम 5 होगी। ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त रहेगें तथा उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

Tanay

ई–स्टाम्प नं0–IN-UP47547839035000X, Date-17-09-2025

6. ट्रस्ट के उद्देश्य–ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्णतः धर्मार्थ है जो निम्न प्रकार है–

1. शिक्षा का प्रचार एंव प्रसार करना व शिक्षा के विकास हेतु जगह–जगह विद्यालयों, शिक्षा संस्थानों, मदरसों आदि की स्थापना करना एंव उनका विधिवत संचालन कर छात्र–छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यक, रचनात्मक एं. कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।

2. शिक्षा विकास हेतु प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु सकूल एंव कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सी0बी0एस0ई0 विद्यालय आदि की स्थाना करता तथा निशुल्क दूरस्थ शिक्षा तकनीकि व्यवसायिक, आद्योगिक, ग्रामोद्योगी कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना तथा निःशुल्क दूरस्थ शिक्षा तकनीकी व्यवसायिक, औद्योगिक एंव ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक युवतियों को स्वावलम्बी एंव आत्म निर्भर बनाना।

3. निर्धन, अनाथ अपंग अनूसुचित जाति जनजाति बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व उनकी छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एंव पुस्तकालय, वाचनालय, कीड़ा स्थल, व्यायामशाला की व्यवस्था करना एंव शैक्षिक व खेल प्रतिभा की प्रतियोगिताओं का आयोजित करना।

4. युवक–युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व उन्हें शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना तथा उनके बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना समाज के विकासार्थ समय–समय पर युवक–युवती परिचय सम्मेलनों का आयोजन कर सामूहिक एंव एकल विवाह संस्कार आयोजित करना एंव दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करना।

5. नागरिकों के सर्वागीण विकास हेतु शहरी एंव ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, शिशु–पोषण महिला एंव बाल विकास कार्यकम बाल टीकाकरण कार्यकमों गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यकम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना एंव समय–समय पर जागरूकता शिविरों को आयोजन करना।

6. नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एंव विज्ञापन, पोस्टर, बैनरा आदि के माध्यम से एड्स, कैंसर, हैपिटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एंव इन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना एंव मद्यनिषेध कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर चलाना तथा चिकित्सा जगत एंव विज्ञान के क्षेत्र में हुयी नयी खोजों से जन–जन को अवगत कराना एंव केन्द्र एंव राज्य सरकार द्वारा चलाये जो रहे कार्यकम को केन्द्र एंव राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग प्राप्त करके विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकम कियान्वित करना।

Tanay

ई–स्टाम्प नं0–IN-UP47547839035000X, Date-17-09-2025

7. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों एंव जागरूकता शिविरों निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों, नेत्र रक्षा कैंपो, विचार गोष्ठियों राहत शिविरों जनजागृति शिविरों कलाप्रदर्शनी प्रौढ शिक्षा अनोपचारिक शिक्षा बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाना।

8. ट्रस्ट का उद्देश्य बाहर से आये श्रद्धालुओं को आश्रय प्रदान करना तथा उनको भोजन, कम्बल आदि की व्यवस्था करना।

9. ट्रस्ट का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एंव शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा हेतु सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशाला एंव अन्य धर्मार्थ संस्थाओं, शिक्षा संस्थानों, निःशुल्क ओषधालयों को निर्माण व उसके संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना।

10. केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के सहयोग से चलायी जा रही योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों एंव शहरी क्षेत्रों में गंदे पानी की निकासी हेतु नाली कच्चे–पक्के नालों का निर्माण एंव मार्ग को जोड़ने के लिये पुलों का निर्माण कराना।

11. जल प्रबन्धन, कृषि अभियन्त्रण, कृषि रक्षा, कृषि आधारित ग्रामोद्योग, यांत्रिक अविष्कार अनुसंधान के सम्बन्ध में कार्य करना तथा बंजर भूमि व ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रमों का संचालन कर भूमि को उपजाऊ व कृषि योग्य बनाना।

12. समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अंधे, कृष्ठ रोगी व मूक बधिरों, विकलांगो व निराश्रित, लाचार, बच्चों, वृद्धजनों के कल्याण के लिये कार्यक्रम करना, बालाश्रम, अनाथालय एंव वृद्धाश्रम की स्थापना करना।

13. युवाओं में राष्ट्रीय एकता सामुदायिक विकास आपसी सदभावना जैसे मूल्यों को विकास करना तथा उनके प्रचार–प्रसार में सहयोग देना। राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना।

14. ट्रस्ट का उद्देश्य बुजुर्ग लोगों तथा साधुओं को भोजन उपलब्ध कराना तथा उनके लिए प्याऊ रैन बसेरों आदि की स्थापना करना।

15. शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार निगम तथा बार्ड विभिन्न कल्याणकारी योजनायें जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपंप, पानी की टंकी लगवाना, क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क खरंजा तथा मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई व शौचालयों, सामुदायिक केन्द्रों, आश्रय स्थल की स्थापना/निर्माण कराना तथा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना।

Tanay

ई–स्टाम्प नं0–IN-UP47547839035000X, Date-17-09-2025

16. पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना एंव जगह–जगह वृक्षारोपण कराना एंव पर्यावरण रक्षा गोष्टियों का आयोजन कर बढ़ते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना।

17. सामाजिक वनिकी कार्यक्रमों को चलाना व खाली पड़ी ऊसर बंजर भूमि पर सघन वृक्षीकरण का कार्य कर वनीकरण को बढ़ाया देना व अवैध लकड़ी कटाई को रोकने में सरकार का सहयोग करना।

18. ट्रस्ट का उद्देश्य निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियों को गरीबों में बांटना।

19. पशुधन जानवरों के स्वास्थ्य संरक्षण, सबर्द्धन का कार्य करना व बीमार पशुओं वन्यजीवों के लिये पशु चिकित्सालय, पशुशाला गौ संवर्धन व संरक्षण करना व गौशाला की व्यवस्था करना एंव उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित तथा जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों को आयोजन करना।

20. खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत फलों का संरक्षण प्रशोधन पैकिंग करना व खाद्य प्रसंस्करण के अन्तर्गत आने वाली प्राकृतिक वस्तुओ को खाने योग्य बनाना व उनके विपणन की व्यवस्था करना तथा प्राप्त आय का संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एंव चैरिटेबिल कार्यो पर व्यय करना।

21. अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आवासीय विद्यालयों, मदरसों प्रशिक्षण केन्द्रों एंव विभिन्न प्रकार की तकनीकी केन्द्रों की स्थापना करना एंव संचालन करना, महिला विकास कार्यक्रम एंव प्रौठ शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

22. महिलाओं को स्वरोजगार व आत्म निर्भरता प्रदान करने हेतु स्वंय सहायता समूहो महिला स्वंय सहायता समूहों का गठन करना व उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना व शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

23. समाज में व्याप्त कुरीतियों व सामाजिक बुराईयों का खत्म करने का प्रयास करना तथा अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा भूकम्प आदि दैवीय प्रकोप के समय राहत शिविरों आदि का आयोजन कर पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।

24. <u>ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य कलाप–</u>

अ– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, अनुदान, उपहार एंव अन्य वस्तुयें प्राप्त करना एंव चल–अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में समाहित करना।

ब– ट्रस्ट के हित में सम्पत्ति के पुनः निर्माण एंव नव निर्माण आदि समस्त ट्रस्टीयों की सहमति से ट्रस्ट के अध्यक्ष एंव सचिव द्वारा संयुक्त रूप से करना।

25. अ–ट्रस्ट के समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाओं एंव ट्रस्टो से सहयोग का आदान–प्रदान करना।

Tanay

ई–स्टाम्प नं0–IN-UP47547839035000X, Date-17-09-2025

ब– ट्रस्ट के उद्देश्य को पूरा करने हेतु सरकार एंव प्रशासन में जनहित में सहयोग का आदान–प्रदान करना।

7. ट्रस्ट का गठन एंव संचालन–

1. इस ट्रस्ट में ट्रस्टियों की संख्या न्यूनतम 3 एंव अधिकतम आवश्यकतानुसार होगी।

2. इस ट्रस्ट में तीन स्थायी सदस्य/ट्रस्टी होगें जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा नये सदस्य शामिल करके बढ़ायी जा सकती है एंव शेष ट्रस्टीगणों का चयन एंव नियुक्ति स्थायी ट्रस्टीगणों के द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

3. ट्रस्टियों की नियुक्ति एंव पात्रता–

अ– जो स्वास्थ चित्त एंव स्वच्छ आचरण, समाज सेवा एंव धार्मिक कार्यो की भावना रखता हो तथा शिक्षित व्यक्ति हो।

ब–जो किसी नैतिक अपराध के लिये दोष सिद्ध अपराधी न हो तथा दिवालिया न हो।

स– जो भारत का नागरिक हो।

8. इस ट्रस्ट का गठन निम्न व्यक्तियों द्वारा सहमति से किया गया स्थायी एंव आजीवन ट्रस्टीगण–

क0सं0	नाम	पिता का नाम	पता	पद
1.	राजेन्द्र यादव	पुन्नी सिंह	द एशियन स्कूल शम्भूनगर शिकाहोबाद जिला फिरोजाबाद	मुख्य ट्रस्टी/ अध्यक्ष
2.	तनय कुमार	राजेन्द्र यादव	द एशियन स्कूल शम्भूनगर शिकाहोबाद जिला फिरोजाबाद	सचिव
3.	कौशल किशोर	रामविहारी यादव	म0नं0–701, खेरा शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद	कोषाध्यक्ष

9. ट्रस्ट की सदस्यता–

1. ट्रस्ट के कुशल संचालन हेतु अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी, सचिव, कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सहयोगी पदाधिकारियों की नियुक्ति कर एक कमेटी का गठन किया जायेगा।
2. मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकेगा।
3. मुख्य ट्रस्टी की अक्षमता अथवा मृत्यु की स्थिति में मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष के परिवार का सदस्य ही मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष बन सकेगा।

10. ट्रस्ट के ट्रस्टी की सदस्यता निम्न प्रकार से समाप्त हो जायेगी।
1. किसी ट्रस्टी की मृत्यु हो जाने पर।

Tanay

2. किसी ट्रस्टी के पागल अथवा दिवालिया होने पर।
3. किसी ट्रस्टी के किसी नैतिक अपराध में दोश सिद्ध हो जाने पर।
4. किसी ट्रस्टी द्वारा त्याग पत्र देने पर।
5. किसी ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने एंव क्षति पहुॅचाने पर।
11. ट्रस्ट के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति निम्नानुसार की जायेगी–
1. स्थायी ट्रस्टी के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सर्वसम्मति से किसी को भी ट्रस्टी नियुक्त किया जायेगा।
2. अस्थायी ट्रस्टी का स्थान रिक्त होने पर शेष सभी ट्रस्टी बहुमत के आधार पर या आपसी सहमति से किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जावेगी।
3. किसी ट्रस्टी की समयावधि समाप्त होने पर अथवा त्याग पत्र देने पर पुनः उस व्यक्ति की ट्रस्टी के रूप में बहुमत एंव सहमति के आधार पर नियक्ति की जा सकेगी।

12. ट्रस्ट के कार्य संचालन–

1. ट्रस्ट का कार्य संचालन अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी एंव अन्य सदस्यों के द्वारा किया जायेगा।
2. ट्रस्टीगणों की वर्श में कम से कम चार बैठकें आयोजित की जायेगी परन्तु उपबन्ध यह है कि आवष्यकता पड़ने पर आवश्यक बैठक भी आयोजित की जा सकेगी।
3. ट्रस्ट की सभी बैठकों की गणपूर्ति ट्रस्टीगणों की संख्या का 2/3 अनिवार्य है।
4. ट्रस्ट का संचालन एंव समस्त कार्यवाहियों का संचालन सामान्य रूप से अध्यक्ष के द्वारा सम्पन्न किये जायेगें। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य द्वारा कार्य सम्पन्न किये जायेंगे।
5. कोषाध्यक्ष ट्रस्ट के समस्त आय–व्यय का हिसाब रखेगें तथा उसका लेखा–जोखा रखेगें तथा दान अनुदान, चंदा तथा अन्य प्राप्तियों की रसीद जारी करना एंव प्राप्त धन को बैंक मैं जमा करना तथा आय–व्यय के ब्यौरे को ऑडिटर द्वारा सत्यापित कराकर किसी मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेंट से परीक्षण करा कर समस्त ट्रस्टीज को अवगत कराना।
6. ट्रस्ट के समस्त वित्तीय खर्ची का अनुमोदन अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) करेगें।
7. ट्रस्ट का खाता किसी डाकघर अथवा किसी भी बैंक में संचालित किया जायेगा।
8. ट्रस्ट के बैंक खाता अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जायेगा।
9. ट्रस्ट समिति अपने कार्य का संचालन या किसी विशिष्ट कार्य के संचालन हेतु नियम उपनियम अथवा प्रस्ताव द्वारा निर्धारित, संशोधित एंव संचालित कर सकेगी।
10. ट्रस्ट समिति ट्रस्ट के हित में अपनी गतिविधियों के संचालन हेतु चल व अचल सम्पत्तियों को प्राप्त कर सकेगी एंव दान–दाताओं से राशि, सम्पत्ति एंव सहयोग प्राप्त कर सकेगी।

13. मुख्य ट्रस्टियों के कर्तव्य एंव अधिकार–

1. मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष

1. ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना एंव अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट की उन्नति एंव विकास में सहायक हों।

Tanay

2. ट्रस्टी मंडल की सभी में किसी विषय पर बराबर–बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना।

3. ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति को आपात स्थिति में देखकर उसे भंग करना। कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार अपने में निहित कर 2 माह के अन्दर नई कार्यकारिणी का गठन करना।

4. ट्रस्ट के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण, अनुदान पत्रों, चौंको, ड्राफ्टों बंधक विलेखों, बिल वाऊचर आदियों पर हस्ताक्षर करना।

5. ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना दान अनुदान चंदा प्राप्त करना व सदस्यों को उसकी रशीद देना।

6. ट्रस्ट के किसी भी ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के विरूद्ध अनियमितता व ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर उसे 6 वर्श तक की अवधि के लिए सभा से निलम्बित करना तथा अनुशासन हीनता करने पर सचिव व कोषाध्यक्ष को छोड़कर किसी भी पदाधिकारी व सदस्य की सदस्याता समाप्त करना।

7. ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।

8. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित धार्मिक संस्थानों व अन्य इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों एंव कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निस्कासन, पदोन्नति एंव पदच्युत करना एंव उनके वेतन भत्ते आदि तय करना।

9. आकस्मिक व्यय हेतु 2,000/–दो हजार रूपये तक अपने पास अग्रिम रखना व व्यय करना।

10. ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष द्वारा समस्त प्रकार का पत्राचार करना। मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना एंव मीटिंग की कार्यवाही लिखना।

11. ट्रस्ट वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा व बजट तैयार कर सवीकृति हेतु ट्रस्ट समिति के समक्ष मीटिंग में रखना।

12. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी एंव विधिक सलाहकार के सहयोग से समस्त कार्यवाही को संचालित करना।

13. ट्रस्ट के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करते हो।

14. <u>ट्रस्टीगणों के अधिकार एंव कर्तव्य–</u>

1. ट्रस्टीगण किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से चंदा, दान, अंशदान एंव गिफ्ट नगद अथवा चैक/ड्राफ्ट तथा अन्य प्रकार से प्राप्त करने के अधिकारी होगें।

2. ट्रस्टीगण ट्रस्ट की आय अथवा ट्रस्ट फण्ड को या एकत्रित ट्रस्ट की राषि को ट्रस्ट के हितों के लिये किसी भी कार्य में प्रयोग करने के अधिकारी होगे।

3. ट्रस्टीगण, ट्रस्ट की सम्पत्ति को ट्रस्ट के हित में किसी भी विनियोग में निक्षेप करने के अधिकारी होगे।

4. ट्रस्टीगण, ट्रस्ट के कोष को किसी भी चल–अचल सम्पत्ति, शेयर, ऋण पत्र बचत पत्र अथवा किसी भी प्रतिभूमि में निक्षेप करने के अधिकारी होगे, तथा वह किसी भी कम्पनी

Tanay

आवेदन सं०: 202500771009433

न्यास पत्र

बही स०: 4	**रजिस्ट्रेशन स०: 49**	**वर्ष: 2025**

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग : 140

श्री प्रोफेसर पुन्नी सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा
राजेन्द्र यादव अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री पुन्नी सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: नि0 द एशियन स्कूल शम्भू नगर शिकोहाबाद तह0 शिको0 जिला फिरो0

श्री, प्रोफेसर पुन्नी सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा राजेन्द्र यादव अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 18/09/2025 एवं
03:44:21 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मु० आरिफ खाँ प्रभारी
उप निबंधक :टूंडला
फ़िरोजाबाद
18/09/2025

जे० पी० सिंह
निबंधक लिपिक
18/09/2025

को व्यक्ति को अथवा फर्म एंव संस्था को ऋण के रूप में देने के अधिकारी होगें। परन्तु ट्रस्ट की सम्पत्ति को बेचने के अधिकारी नहीं होगे।

5. ट्रस्टीगण ट्रस्ट के हित में किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था अथवा व्यक्ति से ऋण लेने के अधिकारी होगें।

6. ट्रस्टीगण ट्रस्ट की सम्पत्ति को ट्रस्ट के हित में किराये पर देने के अधिकारी होगे।

7. ट्रस्टीगण ट्रस्ट पर किसी भी मुकद्दमें व अन्य कानूनी विवादों के सम्बन्ध में समस्त प्रकार की विधिक कार्यवाही करने एंव अधिवक्ता अथवा पैरोकार नियुक्त करने के अधिकारी होगे।

8. ट्रस्टीगण ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी प्रकार के प्रकल्पों के सुचारू संचालन हेतु कर्मचारी नियुक्त करने, उन्हें पदच्युत करने एंव उनके वेतन भत्ते निर्धारित करने के अधिकारी होगें।

9. ट्रस्टीगण ट्रस्ट के हितार्थ समय–समय पर आवष्यक नियमों, उपनियमों में परिवर्तन, संशोधन एंव नवीन उन नियम बनाने के अधिकारी होगें।

10. ट्रस्टीगण ट्रस्ट के हितों के लिये केन्द्र सरकार राज्य सरकार, नगर निगम, कम्पनी बोर्ड अथवा संस्था एंव सांसद व विधायक व विधायक निधि से अनुदान के लिये प्रार्थना भेजने एंव प्राप्त करने के सम्बन्ध में उक्त लोगों से सम्पर्क करने के अधिकारी होगे।

11. ट्रस्टीगण ट्रस्ट के हितों के लिये किसी भी अन्य ट्रस्ट जो कि समान उद्देश्यों की पूर्ति करता हो को, अधिग्रहीत करने के अधिकारी होगें।

12. ट्रस्टीगण ट्रस्ट के हितों के लिए ट्रस्ट की अन्य किसी स्थान पर शाखायें खोलने एंव उनके क्षेत्र विस्तार तथा उनकी सहायता करने के अधिकारी होगे।

13. ट्रस्टीगण किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक लेने के अधिकारी नहीं होगें। परन्तु वह अपने द्वारा खर्च किये गये निजी धन को लेने के अधिकारी होगें।

14. कोई भी ट्रस्टीगण ट्रस्ट की सम्पत्ति से निजी लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा तथा समस्त सम्पत्ति का उपयोग धार्मिक परमार्थिक एंव लोकहित के कार्यो में तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर सकेगा।

15. ट्रस्ट के विघटन होने की दशा में ट्रस्ट की समस्त चल, अचल सम्पत्ति एंव ट्रस्ट का विलीनकरण समान उद्देश्यों वाले ट्रस्ट अथवा संस्था में किया जा सकेगा।

16. यह भी घोषणा की जाती है कि कोई भी ट्रस्टी, ट्रस्ट की आय अथवा सम्पत्ति का प्रयोग ट्रस्ट के अन्दर ही खर्च किया जायेगा अथवा ऐसे किसी भी मद पर खर्च नहीं किया जायेगा जो ट्रस्ट के हितों के विपरीत हो।

15. समावेशित शासन/शिक्षा विभाग के प्रतिबन्ध–

क–विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख–विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा

Tanay

आवेदन सं०: 202500771009433

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 49	वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री प्रोफेसर पुन्नी सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट के द्वारा राजेन्द्र यादव , |PROFESSOR PUNNI SINGH EDUCATIONAL TRUST

पुत्र श्री पुन्नी सिंह

निवासी: नि0 द एशियन स्कूल शम्भू नगर शिकोहाबाद तह0 शिको0 जिला फिरो0

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 2

श्री प्रोफेसर पुन्नी सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट के द्वारा तनय कुमार , |PROFESSOR PUNNI SINGH EDUCATIONAL TRUST

पुत्र श्री राजेन्द्र यादव

निवासी: नि0 द एशियन स्कूल शम्भू नगर शिकोहाबाद तह0 शिको0 जिला फिरो0

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 3

श्री प्रोफेसर पुन्नी सिंह एजूकेशनल ट्रस्ट के द्वारा कौशल किशोर , |PROFESSOR PUNNI SINGH EDUCATIONAL TRUST

पुत्र श्री रामविहारी यादव

निवासी: नि0 म0नं0 701 खेरा शिकोहाबाद तह0 शिको0 जिला फिरो0

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मनोज यादव , पुत्र श्री विशम्बर दयाल

निवासी: नि0 जसलई रोड़ सरस्वती शिशु मन्दिर शम्भू नगर शिकोहाबाद तह0 शिको0 जिला फिरो0

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री महेश चन्द्र एडवोकेट, पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह

निवासी: नि0 तहसील कोर्ट टूण्डला जिला फिरो0

व्यवसाय: वकालत

ई–स्टाम्प नं0–IN-UP47547839035000X, Date-17-09-2025

परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ–संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली / काउसिंल फोर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है। तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

ड–संस्था के शिक्षण एंव शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

च– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय तर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत लाभ उपलब्ध कराये पालन करेगी।

छ– राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें, संस्था उसका पालन करेगी।

ज– विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविश्य में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।

झ–विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र / पंजिकाओं रखा जायेगा।

ञ– उपयुक्त क्रम क से झ में कोई परिवर्तन / संशोधन बिना शासन एंव विभाग की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

ट– उपर्युक्त क्रम क से ञ तक के प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बायलॉज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

ठ– यह कि वर्तमान में 10,000 / –रूपया के अतिरिक्त ट्रस्ट के पास कोई भी चल–अचल सम्पत्ति नहीं है, तथा ट्रस्ट का कार्यालय भी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है एंव इस नाम से कोई अन्य ट्रस्ट पंजीकृत नहीं है।

लिहाजा यह ट्रस्ट डीड मुझ निर्माणकर्ता राजेन्द्र यादव मुख्य ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा खूब सोच समझ कर स्वेच्छा से स्वस्थ चित्त, मन बुद्धि से बिना किसी दबाव नाजायज के एंव अन्य संस्थापक ट्रस्टीगणों की सहमति से आज दिनांक–17–09–2025 को द्वारा अभिलिखित मुकाम तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद पर गवाहों की उपस्थिति में निष्पादित करायी गयी।

Tanay

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मु० आरिफ खाँ प्रभारी
उप निबंधक : टूंडला
फ़िरोजाबाद
18/09/2025

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

जे० पी० सिंह
निबंधक लिपिक फ़िरोजाबाद
18/09/2025

ई–स्टाम्प नं0–IN-UP47547839035000X, Date-17-09-2025

तहरीरी तारीख **17–09–2025** व मसौदा महेश चन्द्र एडवोकेट तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

MAHESH CHANDRA ADVOCATE
COP No.- 171298
Tehsil Court Tundla (Firozabad)

गवाह–मनोज कुमार पुत्र श्री विशम्बर दयाल यादव निवासी
जसलई रोड़ सरस्वती शिशु मन्दिर, शम्भूनगर
शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद।
आधार सं0–4096 4347 4906

गवाह–महेश चन्द्र एडवोकेट
तहसील कोर्ट टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

आवेदन सं०: 202500771009433

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 40 के पृष्ठ 1 से 24 तक क्रमांक 49 पर दिनाँक 18/09/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मु० आरिफ खाँ प्रभारी
उप निबंधक : टूण्डला
फ़िरोज़ाबाद
18/09/2025